335

443

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs. 30/

1. जगन्नाथ तनय श्री बद्री प्रसाद द्विवेदी III/निग0/सतना/भू.रा0/2017/2107
2. हीरालाल उर्फ रामू तनय स्व0 श्रीधर द्विवेदी
3. रवी तनय स्व0 श्रीधर द्विवेदी
4. रामगोपाल तनय स्व0 रामाधार द्विवेदी
5. इन्द्र प्रसाद तनय स्व0 रामाधार द्विवेदी
6. काशी प्रसाद तनय स्व0 रामाधार द्विवेदी

अधि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, द्वारा पेश/05-7-17

निवासीगण ग्राम अंधरवार तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0

---निगरानीकर्तागण

बिरुद्ध

1. शाससन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का पगारकाल
2. कामता प्रसाद पिता स्व0 हीरालाल द्विवेदी
3. मंधीर प्रसाद पिता स्व0 हीरालाल द्विवेदी
4. छोटेलाल पिता स्व0 हरीलाल द्विवेदी

निवासीगण ग्राम ऊंचा टोला ग्राम पगारकला तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

----उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 87/अपील/2016-17 मे दिनांक 08.06.17 को पारित।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

अ. आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार बृत्त जैतवारा के न्यायालय मे म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115/116 के तहत मौजा पगारकला की आराजी नं- 693, 695, 709, 710, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 764 शामिल नं-756, 766, 776, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,

2654/2008

(335)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2107 जिला–सतना

जगन्नाथ वगैरः / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 87 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	